है। इसी प्रकार वादपत्र में अतः हम वादीगण के वाद को माफिक प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 1662 दि. 23.04.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सोहनराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम–राजोद तहसील जायल के वर्तमान ख. नं. 1450/221 रकबा 3.3427 हैक्टैयर में से रकबा 1.6715 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नं. 751 रकबा 2.9947 हैक्टैयर में से 2.3473 हैक्टेयर भूमि माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित की जाती है।
2. प्रतिवादी छगनाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम–राजोद तहसील जायल के वर्तमान ख. नं. 1450/221 रकबा 3.3427 हैक्टैयर में से रकबा 1.6714 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित की जाती है।
3. प्रतिवादी हीराराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम–राजोद तहसील जायल के वर्तमान ख. नं. 751 रकबा 2.9947 हैक्टैयर में से 0.6474 हैक्टेयर भूमि माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित की जाती है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 23.04.2021 आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/6/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

29/6/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner